इण्डो इन्टरनेशनल एजुकेशन बनाम रामगोपाल

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से 1/5/2020
	10/6/24	... श्री. सहाय ... रहने / ... द्वारा ... करने के ... की ... 23/6/24
	25/6/24	पत्रावली पेश हुई। वादी व उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं। वक्त अदालत वादी व उनके अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगवाई गई। परन्तु वादी व उनके अधिवक्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अतः वादी का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)

6

श्री सत्य प्रकाश ... कार्यालय ...

सहायक कलेक्टर जयपुर (प्रथम) 14/05/14

न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर (प्रथम) जयपुर

वाद संख्या : 19 /2014

इण्डो इन्टरनेशनल एजुकेशन सोसायटी जरिये मंत्री श्री गिरिराज शर्मा पुत्र श्री श्रीनारायण शर्मा, जाति ब्राह्मण, कार्यालय ई-104, सिद्धार्थ नगर, मालवीय नगर दक्षिण, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

..........वादी

ब ना म

1. श्री रामगोपाल } पुत्र श्री बद्री
2. श्री रामनारायण }
3. श्री रामजीलाल } पुत्र श्री गंगासहाय
4. श्री कैलाश }

} जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम मानपुर टीलावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

..........प्रतिवादीगण

-::वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा::-

श्रीमान जी,

वाद पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1- यह कि वादी सोसायटी के प्रमुख उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में सर्व समाज के सर्वांगीण विकास हेतु सेवा भाव से ग्रामीण, पिछड़े एवं कमजोर वर्ग के बालक, बालिकाओं, महिलाओं, युवा एवं शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी आयु एंव वर्ग व जाति के व्यक्ति को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, शारीरिक, कला एवं सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें शिक्षित एवं उन्नत व्यक्तित्व प्रदान करने हेतु प्राथमिक, माध्यमिक एंव उच्च माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय का निर्माण कर साम्यता के आधार पर शिक्षा ... लाभान्वित कर समाज की प्रगती हेतु निरन्तर एवं सतत् शिक्षा प्र... करना है। उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संस्था ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:38:46 IST
Reason: SelfAttested